उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 66/3402/71-1-2014-इ-59/2014
दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 यू0 के0 घोष, सेवानिवृत्त आचार्य, आब्स एण्ड गायनी, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद को सेवानिवृत्ति के पश्चात् संविदा के आधार पर तैनात किए जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2014/3246, दिनॉक 3-12-2014 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय डा0 यू0 के0 घोष को तात्कालिक प्रभाव से मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के आचार्य, आब्स एण्ड गायनी के पद पर 03 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/तैनात किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डा0 यू0 के0 घोष संविदा पर नियुक्ति के दौरान:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008 तथा शासनादेश संख्या-1364/71-1-10-जी-63/2008, दिनॉक 07-06-2010, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-2282/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 13-09-2013 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- डा0 यू0 के0 घोष को शासनादेश दिनॉक 07-06-2010 के प्रस्तर-3(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार आचार्य का नियत वेतन रू0 70,000/- प्रतिमाह देय होगा। डा0 यू0 के0 घोष को उक्त निर्धारित नियत वेतन पेंशन की धनराशि के अतिरिक्त देय होगा।

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 66/3402(1)/71-1-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
6- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in